कार्यालय सहायक सम्भागीय परिवहन अधिकारी,
मथुरा

पत्रांक 889/अधि0सू0/स0सु0/2020 दिनाँक : 24.09.2020

अधिसूचना

केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 112 के अन्तर्गत वाहनों की गति सीमा का उल्लेख किया गया है जिसके अन्तर्गत उपरोक्त धारा की उप धारा–2 में गति निबन्धन के सम्बन्ध में राज्य सरकार को नियम बनाने के अधिकार दिये गये हैं। उ0प्र0 मोटरयान नियमावली 1998 के नियम 178 द्वारा जनपद के रजिस्ट्रीकृत अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी को नगरीय निकाय की अधिकारिता क्षेत्र को छोड़कर अन्य क्षेत्रों की अधिकारिता क्षेत्र के भीतर यान की श्रेणी या श्रेणियों की उप धारा 1 के अन्तर्गत निर्धारित अधिकतम सीमा को जनहित में उपरोक्त के दृष्टिगत संतुष्ट होने पर प्रतिबन्धित करने का अधिकार प्रदत्त किया गया है।

उपरोक्त के क्रम में मैं बबिता वर्मा, पंजीयन अधिकारी/सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन) मथुरा मोटरवाहन अधिनियम 1988 (अधिनियम संख्या – 1988) की धारा 112 की उपधारा (2) के साथ पठित उत्तर प्रदेश मोटरयान नियमावली 1988 के नियम 178 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये जनपद मथुरा से होकर गुजरने वाले यमुना एक्सप्रेस वे पर संचालन हेतु श्रेणीवार वाहनों की अधिकतम सीमा निम्नलिखित तालिकानुसार निर्धारित की जाती है।

क्र.सं.	मोटरयान का वर्ग	निर्धारित की गयी गति सीमा
1	ऐसे मोटरयान जिनका उपयोग चालक सीट बेल्ट के अतिरिक्त 08 सीटों से अनाधिकृत यात्रियों के वहन के लिये किया जाता है (एम 1 प्रवर्ग यान)	100
2	ऐसे मोटरयान जिनका उपयोग चालक सीट बेल्ट के अतिरिक्त 09 या अधिक सीटों से अनाधिकृत यात्रियों के वहन के लिये किया जाता है (एम 2 और एम 3 प्रवर्ग यान)	80
3	ऐसे मोटरयान जिनका उपयोग माल के वहन के लिये किया जाता है (सभी एन प्रवर्ग यान)	60
4	मोटर साइकिल	80

(बबिता वर्मा)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
मथुरा

प्रतिलिपि :– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

1. परिवहन आयुक्त, उ0प्र0, लखनऊ।
2. अपर पुलिस महानिदेशक (यातायात) यातायात निदेशालय, उ0प्र0।
3. जिलाधिकारी, मथुरा।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, मथुरा।
5. उप परिवहन आयुक्त, आगरा परिक्षेत्र, आगरा।
6. संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन), आगरा।
7. महाप्रबन्धक (परियोजना), यमुना एक्सप्रेस–वे इण्डिस्ट्रियल डेवलपमेंट अथारिटी, ग्रेटर नोएडा, गौतमबुद्धनगर।
8. निदेशक, छपाई एवं मुद्रण सामग्री, राजकीय प्रेस, मथुरा को इस अनुरोध के साथ कि उक्त अधिसूचना को राज्य सरकार के प्रकाशित होने वाले सरकारी गजट में प्रकाशित करने का कष्ट करें।
9. संपादक, दैनिक समाचार पत्र, अमर उजाला/हिन्दुस्तान/दैनिक जागरण को इस अनुरोध के साथ कि उक्त जनहित की अधिसूचना को अपने लोकप्रिय समाचार पत्र के आगामी अंक में निःशुल्क प्रकाशित करने का कष्ट करें।

(बबिता वर्मा)
सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन)/
रजिस्ट्रीकर्ता प्राधिकारी
मथुरा